भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट–विधानसभा, रायपुर–492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स–0771–2282530, 2285590/95 ई–मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

सं- CHG/DRG/LST-51/RPR खान कोड- 38CHG05020 दिनांकः– .04.2023

प्रेषिति-

के. बी. लाल श्रीवास्तव एण्ड सन (HUF)
कर्ता- श्री के. बी. लाल श्रीवास्तव,
मेडेसरा चूनापत्थर खान,
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़-494001
ईमेल–*sanjayshrivastava74@gmail.com*

श्री संजय श्रीवास्तव, खान एजेंट,
मेडेसरा चूनापत्थर खान,
वास्ते के. बी. लाल श्रीवास्तव एण्ड सन (HUF),
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़-494001
ईमेल–*sanjayshrivastava74@gmail.com*

विषय :छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके मेडेसरा चुनापथर खान 12.85 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री संजय श्रीवास्तव, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली **2017** एवं संशोधित नियमावली **2021** के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया हे ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in accordance with the Review & updation of Mining Plan (RMP) approved dated: 23.11.2020 to the extent indicated below:- **(i)** Against the proposal of 7895 tonne of Waste/O.B removal in FY 2021-22, Waste/Overburden of 20,000 Tonne reported removed during FY 2021-22. However, such substantial quantity of waste was not observed stacked/dumped in the mine. **(ii)** During FY 2021-22 & 2022-23, Waste/Overburden dumping proposed to be carried out at the earmarked place between ML Boundary pillars MD20 & MD34 in western part of the mining lease area (Ref. Plates No. 7(i) & (ii) of the RMP). However, waste dumping was not found carried out at the earmarked place as envisaged. Hence, above are observed to be against the systematic and scientific development of the mine.
26(2)	A yearly report setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, ought to be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year, has not been submitted so far for the year 2021-22.
31(4)	The Plans & sections have not been maintained up to date within three months as required under this for Category 'A' mines; as Updated Plans & sections have not made available during the inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है एवं आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **11(1),26(2)** एवं **31(4)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो